राज्यों को सूखा सहायता

@@1473. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा सूखे से प्रभावित प्रत्येक राज्य की अब तक कितनी सूखा सहायता उपलब्ध कराई गई है और यह सहायता किस रूप में उपलब्ध करायी गयी है, प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृत अनुदान तथा ऋण की कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) इस संबंध में प्रत्येक राज्य द्वारा अभी तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है और उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) सूखे के कारण राज्यों की अर्थ-व्यवस्था को हुए नुकसान के लिए उन्हें मुआवजा दिये जाने के संबंध में क्या प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान सूखा राहत के लिए राज्यों के लिए अनुमोदित व्यय की अधिकतम सीमाएं तथा उन्हें दी गई राशि को दर्शाने वाले विवरण--- **[देखिये परिशिष्ट** CXLVI अनुपत्र सं. 57] **(नीचे देखिये)** । ।

(ख) विवरण *II* तथा विवरण-III संलग्न है **(नीचे देखिये)** ।

(ग) केन्द्रीय सहायता सूखा प्रवण क्षेत्रों में चालू सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने, नगर जल-आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने/ उनके कार्य में तेजी लाने तथा ऐसे लाभकारी उत्पाद-जन्य रोजगार के लिए प्रदान की गई थी, जो भविष्य में इस प्रकार के व्यय की आवश्यकता को दूर करेगा । चुनिन्दा सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे अतिरिक्त व्यय से सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी और पोषण-सम्बन्धी कमी पूरी होगी तथा कृषि-पैदावार बढ़ेगी । सूखा सहायता पोषण-सम्बन्धी कमी को पूरा करने, स्वास्थ्य संबंधी उपायों, पशुओं के लिए चारे, बीज सहायता आदि के लिए भी प्रदान की गई है जो सूखे की परिस्थितियों के बावजूद भी उत्पादन क्षमता को बनाए रखेगी और उसे सहायता पहुंचाएगी ।

@@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 516, 29 अप्रैल, 1988 से स्थानान्तरित ।

विवरण—II

वर्ष 1988–89 के दौरान सूखा राहत हेतु राज्यों द्वारा मांगी गई राशि, व्यय की अनुमोदित अधिकतम सीमाएं तथा दी गई राशि

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	राज्यों द्वारा मांगी गई राशि	व्यय की अनुमोदित अधिकतम सीमाएं	सूचित किया गया व्यय	दी गई राशि
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	—	0.05	—	
2. गुजरात	*	105.69	—	
3. हरयाणा	—	0.04	—	
4. हिमाचल प्रदेश	—	0.04	—	
5. जम्मू-कश्मीर	0.04	—	—	
6. कर्नाटक	—	0.06	—	3.85@
7. केरल	—	0.05	—	(—)3.00=
8. मध्य प्रदेश	—	34.12	—	
9. महाराष्ट्र	112.81	11.88	—	
10. नागालैण्ड	—	0.02	—	

1	2	3	4	5	
11.	उड़ीसा	—	1.23	—	
12.	पंजाब	—	0.04	—	
13.	राजस्थान	514.80	143.73	—	
14.	तमिलनाडु	—	0.05	—	
15.	उत्तर प्रदेश	—	0.20	—	
	जोड़ :	627.65	297.24	—	0.85

*वर्ष 1987–88 की मांग में शामिल है।
@वर्ष 1987–88 के लिए बकाया।
—1983–84 में अधिक दी गई राशि के प्रति समायोजित की गई।

विवरण–III

II. वर्ष 1987–88 के दौरान राज्यों द्वारा सूखे के लिए मांगी गई राशि तथा सूचित किया गया व्यय।

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	मांग की गई राशि	31–3–88 तक सूचित किया गया व्यय
1. आन्ध्र प्रदेश	787.25	62.02
2. गुजरात	1551.85	512.74
3. हरियाणा	489.37	39.14
4. हिमाचल प्रदेश	274.64	17.85
5. जम्मू-काश्मीर	169.06	12.11
6. कर्नाटक	256.68	27.50
7. केरल	387.09	49.89
8. मध्य प्रदेश	655.32	114.84
9. महाराष्ट्र	647.72	121.03
10. नागालैंड	22.20	3.88
11. उड़ीसा	176.13	39.22
12. पंजाब	505.05	23.63
13. राजस्थान	2396.38	562.03
14. तमिलनाडु	401.16	75.80
15. उत्तर प्रदेश	1314.11	123.41
जोड़ :	10534.01	1785.09